न्यायालय समाहर्त्ता, एवं जिला दण्डाधिकारी, दरभंगा

उत्पाद अधिहरण वाद संख्या–142/2020

बिहार सरकार द्वारा वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा बनाम गोविन्द कुमार सुमन

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
01/12/2020	**आदेश** प्रस्तुत उत्पाद अधिहरण वाद वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा के पत्रांक–820/म0नि0को0, दिनांक–19.06.2020 से प्राप्त सदर थाना कांड संख्या–152/20 दिनांक 14.04.2020 में बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन स्कूटी रजि0 सं0– BR07AJ-5971 को राज्यसात् करने हेतु अनुशंसा के आलोक में प्रारंभ की गई। सामान्य अनुक्रम में विपक्षी वाहन स्वामी को कारण पृच्छा हेतु नोटिस निर्गत किया गया। तदालोक में विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कारण पृच्छा प्राप्त है, जो अभिलेख पर संधारित है। विद्वान् विभागीय अधिवक्ता का कथन है कि पुलिस बल के द्वारा कबीरचक के पासवान चौक पर लॉकडाउन को लेकर वाहन चेकिंग के क्रम में देखा गया कि एक ब्लू रंग का स्कूटी पर एक व्यक्ति सवार होकर आ रहा था, जिसे रूकने का इशारा किया गया तो पुलिस को देखते ही अपना स्कूटी को घुमाकर भागने लगा। संदेह होने पर पुलिस बल द्वारा खदेड़ा गया परन्तु उक्त स्कूटी को चालक द्वारा पोसनपुरा गली के पास छोड़कर भाग गया। तलाशी हेतु दो स्वतंत्र साक्षी की तलाश की गई परन्तु कोई उपस्थित नहीं मिला। तत्पश्चात पुलिस बल के दो सदस्य को साक्षी मानकर उक्त TVS स्कूटी रजि0 नं0– BR07AJ-5971 की विधिवत तलाशी ली गई तो उक्त वाहन के डिक्की से इम्पेरियल ब्लू कम्पनी का 375 एम0एल0 का 02 बोतल विदेशी शराब बरामद हुआ, जिसे विधिवत उक्त वाहन के साथ जब्त किया गया। चूँकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार एवं परिवहन दण्डनीय अपराध है। अतः उक्त जब्त वाहन को राज्यसात् होना चाहिये। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि विपक्षी के वाहन से किसी प्रकार का अवैध सामान या शराब बरामद नहीं हुआ है और न ही अवैध व्यवसाय में संलिप्तता है। पुलिस द्वारा शंका के आधार पर विपक्षी के वाहन को जब्त कर लिया गया है। विपक्षी उक्त जब्त वाहन के स्वामी है। न्यायालय द्वारा जब भी आदेश होगा उक्त वाहन को प्रस्तुत किया जायेगा। अतः जब्त वाहन को विमुक्त करने की कृपा की जाय। उभय पक्ष को सुना एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों का अवलोकन किया। अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त वाहन TVS स्कूटी रजि0 नं0– BR07AJ-5971 के डिक्की से से 375 एम0एल0 का 02 बोतल कुल 750 एम0एल0 विदेशी शराब बरामद हुआ है, जिसे पुलिस बल द्वारा विधिवत जब्त किया गया। इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम –2016 की धारा 56(घ) के तहत उक्त वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था। जबकि बिहार राज्य में अवैध शराब का चौर्य व्यापार, परिवहन तथा भंडारण प्रतिबंधित एवं दण्डनीय अपराध है। विपक्षी वाहन स्वामी की ओर से कथन एवं दाखिल कारण–पृच्छा के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य दाखिल नही किया गया जिससे कि उनके दावे को बल मिलता हो।	

माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा सी0डब्लू0जे0सी0 सं0–5049/2018 दिवाकर कुमार सिंह बनाम बिहार सरकार एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 22.03.18 के अनुपालन में उक्त नियामक तथ्यों से स्पष्ट है कि बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 56(घ) के तहत संबंधित वाहन का उपयोग अवैध शराब के परिवहन में किया जा रहा था, जिसे राज्यसात् करने का प्रस्ताव समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 58(3) के अनुरूप संबंधित वाहन स्वामी को समुचित अवसर प्रदान किया गया है।

अतएव उपरोक्त तथ्य के आलोक में सदर थाना कांड संख्या–152/20 दिनांक 14.04.2020 में उत्पाद अधिनियम–2016 के अन्तर्गत जब्त वाहन **TVS** स्कूटी रजि0 नं0– **BR07AJ-5971** को बिहार मद्य निषेद्य एवं उत्पाद अधिनियम–2016 की धारा 58(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारा 56(घ) के तहत राज्यसात् करने का आदेश दिया जाता है।

यदि संबंधित पक्षकार इस आदेश से असंतुष्ट हैं, तो 90 दिनों के अन्दर अपीलीय प्राधिकार, आयुक्त उत्पाद, बिहार के न्यायालय में अपील दायर कर सकते हैं।

आदेश की प्रति अधीक्षक, मद्यनिषेध, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति वरीय पुलिस अधीक्षक, दरभंगा को आवश्यक अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजें।

आदेश की प्रति आयुक्त उत्पाद, बिहार, पटना को सूचनार्थ भेजें।

उपर्युक्त विवेचना के साथ इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा

समाहर्त्ता एवं जिला दण्डाधिकारी,
दरभंगा